न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—165/2017/223 (2017/00165)

1. रामसिंह पुत्र हजारी,
2. झुम्मी बेवा हजारी,
   समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम मदारपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र हालू (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— गांधी देवी पत्नि स्व0 अमरसिंह,
   1/2— रघुवीरसिंह पुत्र स्व0 अमरसिंह,
   1/3— संजू पुत्री स्व0 अमरसिंह,
   1/4— मंजू पुत्री स्व0 अमरसिंह,
   1/5— किशनी पुत्री स्व0 अमरसिंह,
   1/6— रेशमा पुत्री स्व. अमरसिंह,
2. हेमसिंह पुत्र हालू,
3. शंकरसिंह पुत्र हालू
4. किशनसिंह पुत्र हालू,
   सस्त जाति रावत, नि0 ग्राम मदारपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरयि तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

6. किशना पुत्र मल्ला,
7. बाला पुत्र मल्ला,
   समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर, दिनांक 19.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 02/2004.

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित ।
3. श्री जुगराज सेनी, वकील तरतीबी रेस्पो0 संख्या 6 व 7.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 22.5.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मदारपुरा, तहसील अजमेर स्थित भूमि साबिक खसरा संख्या 301 रकबा 1—15—00 एवं खसरा नंबर 404 रकबा 00—08—10 बीघा स्थित है । उपरोक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम वर्किग जमाबंदी में अंकित रही है तथा वर्किग जमाबंदी में खसरा संख्या 497 के साथ एक अन्य खसरा नंबर 520 जो अन्य मिलते—जुलते नाम के व्यक्तियों का था, उसका अंकन भी कर दिया गया, इस कारण अभिलेख में त्रुटि हुई, इस कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है । तद्पोरांत वादीगण का वारिवारिक सजरा वादपत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित किया गया जिसके अनुसार भूरा पुत्र चिमना के चार पुत्र यथा गम्भीरा, दल्ला, हजारी एवं मल्ला हुए । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज भूरा पुत्र अज्जा का सजरा अंकित किया जिसके अनुसार उसके वारिस हजारी, हालू व पन्ना हुए । इसके उपरांत निवेदन किया कि खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1349 में भूरा पुत्र चिमना कौम रावत के नाम खेवट खतौनी संख्या 60 में एक अन्य खसरा नंबर के साथ—साथ खसरा संख्या 301 रकबा 1—15—00 एवं 404 रकबा 00—8—00 बीघा भूरा पुत्र चिमना के नाम अंकित है । जमाबंदी संवत् 20219 से 2022 मे भी ग्राम मदारपुरा की खसरा संख्या 301 व 404 की भूमि भूरा पुत्र चिमना के नाम अंकित रही है किन्तु अजमेर भू—संशोधन को मान्यता नहीं देने के उपरांत बनाई गई वर्किग जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 301 व 404 के नये खसरा संख्या 497 व 499 बनाये गये जिनमं से खसरा संख्या 497 रकबा 1—3—00 बीघा वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की भूमि त्रुटिपूर्वक प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज हजारी पुत्र भूरा के नाम अंकित कर दी साथ में एक अन्य खपसरा संख्या 520 जिसका वादीगण से सबंध नहीं है वह भी अंकित कर दिया जिसकी दुरूस्ती हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण इंकार हो गये । अंत में खसरा संख्या 497 रकबा 1—3—00 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबदं करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2017 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित तथा तरतीबी रेस्पो0 संख्या 6 व 7 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को मुख्यालय से दूर ले जाकर कैम्प में अकेले बैठ कर मनमाने तरीके से निर्णित किया है जबकि राज्य सरकार द्वारा राजस्व शिविर का आयोजन इसलिये नहीं लिकया गया कि नियमित वाद की सुनवाई जो प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है, अभिभाषक की गेर हाजरी में मुख्यालय से अन्यंत्र ले जाकर वाद विषय से हट कर मनमाना विवेचन कर प्रकरणों को निस्तारण किया जावे । बहस में आगे कथन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 9 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि भूरा

पुत्र चिमना के अन्य पुत्रों का अर्थात् दल्ला के वारिसान एवं गंभीरा के वारिसान का वर्तमान भूमि में हित नहीं है, खाते अलग होने के बाद वर्तमान वाद में वर्णित भूमि में उनका संबंध नहीं होने से उनको पक्षकार नहीं बनाया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/वादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है । हमने वादपत्र की चरण संख्या 10 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रवितादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में जो अंकन है वह राधा बेवा हजारी की वसीयत के आधार पर किया गया है तथा राधा बेवा हजारी के नाम का अंकन त्रुटिपूर्ण होना कथन कर वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है तथा किसी भी व्यक्ति के नाम वसीयत के आधार पर किसी सम्पति का अंकन वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत ही होता है जबकि पत्रावली से स्पष्ट है कि राधा बेवा हजारी की मृत्यु होने के बाद विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम का अंकन किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश किया गया था जिसके आधार पर वाद स्वीकार किये जाने योग्य था। यदि अधी0न्याया0 इकबाली जवाबदावे से संतुष्ट नहीं थे तो प्रकरण में साक्ष्य लेने हेतु प्रकरण को नियत कर गुणावगुण पर निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। वादीगण दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में असफल रहे है। अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा वाद में तनकियात कायम किये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को लोक अदालत में रखकर निर्णित किया है । अधी0न्याया0 में वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिंह की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/6 को रिकार्ड पर लिया गया है जिन्होनें अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 19.8.2015 को इकाबाली जवाबदावा पेश कर वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है । यदि अधी0न्याया0 प्रतिवादीगण के इकबाली जवाबदावे से संतुष्ट नहीं थे तो अधी0न्याया0 को वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद पक्षकारान के अभाव में भी खारिज करने का निष्कर्ष लिया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 वादी को आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार नियुक्त करने हेतु निर्देशित कर सकते थे । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से यथावत् नहीं रखा जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पायी जाती है ।।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर